

मांग संख्या DEMAND NO. 93

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

I. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये आवश्यक धनराशि का अनुमान।

I. Estimates of the amount required in the year ending 31st March, 2023 to defray charges in respect of DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

|                 | राजस्व Revenue | पूंजी Capital | जोड़ Total | (₹ करोड़)<br>(In ₹ crores) |
|-----------------|----------------|---------------|------------|----------------------------|
| भारित Charged : | ...            | ...           | ...        |                            |
| स्वीकृत Voted : | 11687.51       | 235.00        | 11922.51   |                            |

II. शीर्ष जिनके अन्तर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा।

II. The Heads under which this Grant will be accounted for on behalf of the MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

| मुख्य शीर्ष<br>Major Head   | वास्तविक<br>2020-2021<br>Actuals | बजट अनुमान<br>2021-2022<br>Budget Estimates | संशोधित अनुमान<br>2021-2022<br>Revised Estimates | बजट अनुमान<br>2022-2023<br>Budget Estimates |
|---|----------------------------------|---|--|---|
| <b>राजस्व भाग</b><br><b>REVENUE SECTION</b>   |                                  |   |  |   |
| सचिवालय-सामाजिक सेवाएं  | 2251                             | 51.32                                       | 66.96  | 65.96                                       |
| मंत्रिपरिषद   | 2013                             | 0.04  | 0.04   | 0.04  |
| अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण                  | 2225                             | 513.69                                      | 1346.30  | 1091.42                                     |
| सामाजिक सुरक्षा और कल्याण   | 2235                             | 329.82                                      | 606.50   | 357.75                                      |
| पूर्वोत्तर क्षेत्र  | 2552                             | ...   | 400.02   | 404.23                                      |
| राज्य सरकारों को सहायता अनुदान  | 3601                             | 7230.31                                     | 7730.70  | 9719.61                                     |
| संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान   | 3602                             | 11.66                                       | 47.10  | 48.50                                       |
| <b>जोड़ - राजस्व भाग</b>  |                                  | <b>8136.84</b>                              | <b>10197.62</b>                                  | <b>11687.51</b>                             |
| <b>पूंजी भाग</b><br><b>CAPITAL SECTION</b>  |                                  |   |  |   |
| अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय | 4225                             | 100.00                                      | 366.00   | 229.60                                      |
| पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय   | 4552                             | ...   | 4.00   | 5.40  |
| <b>जोड़ - पूंजी भाग</b>   |                                  | <b>100.00</b>                               | <b>370.00</b>                                    | <b>235.00</b>                               |
| <b>कुल जोड़</b>   |                                  | <b>8236.84</b>                              | <b>10567.62</b>                                  | <b>11922.51</b>                             |

टिप्पणी: उपरोक्त अनुमानों में नीचे दिखाई गई वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटा कर खातों में समायोजित कर दिया जाता है।

Note: The above estimates do not include the recoveries shown below which are adjusted in reduction of expenditure

| राजस्व भाग   | Revenue Section  |      |                |               |                |
|--|--|------|----------------|---------------|----------------|
| अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण | Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities | 2225 | -2.58          | ...           | ...            |
| सामाजिक सुरक्षा और कल्याण  | Social Security and Welfare  | 2235 | -162.65        | -50.00        | -149.48        |
| सचिवालय-सामाजिक सेवाएं   | Secretariat-Social Services  | 2251 | -1.89          | ...           | ...            |
| राज्य सरकारों को सहायता अनुदान   | Grants-in-aid to State Governments   | 3601 | -4.69          | ...           | ...            |
| <b>जोड़ - राजस्व भाग</b>   | <b>Total-Revenue Section</b>   |      | <b>-171.81</b> | <b>-50.00</b> | <b>-149.48</b> |

उपर्युक्त वसूलियों को घटा कर व्यय व्यवस्था इस प्रकार होगी:

The expenditure provisions, net of the above recoveries, will be as under:

| राजस्व      | Revenue      | 7965.03        | 10147.62        | 10085.00        | 11687.51        |
|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| पूंजी       | Capital      | 100.00         | 370.00          | 95.00           | 235.00          |
| <b>जोड़</b> | <b>Total</b> | <b>8065.03</b> | <b>10517.62</b> | <b>10180.00</b> | <b>11922.51</b> |